

प्रश्न सं. [ क. 4127 ]

परिशिष्ट

सदन में उत्तर देने का दिनांक : 25/07/2019

विषय:-घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं से अवैध वसूली।-तारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 4127 द्वारा माननीय विधायक श्री इन्दर सिंह परमार ।

म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा निम्नदाब उपभोक्ताओं से म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप स्थापित मीटर के प्रकार के अनुसार लिये जाने वाले मीटरिंग प्रभार की जानकारी:-

(राशि रूपये में)

क्रमांक	उपभोक्ता का प्रकार	मीटर प्रभार एम.सी.बी. रहित	मीटर प्रभार एम.सी.बी. सहित	मीटर प्रभार सी.टी. सहित	मीटर प्रभार विशेष प्रकार
1	3 फेज वाले उपभोक्ता	25	30	75	125
2	1 फेज वाले उपभोक्ता	10	15	लागू नहीं	लागू नहीं



अवर सचिव  
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग  
मंत्रालय, भोपाल